राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4190/2024

रेणु शर्मा —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, चुरू।
4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, साहवा, तारानगर जिला चुरू।
5. वरूणा रानी, बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, साहवा, तारानगर जिला चुरू।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.12.2024
आदेश की दिनांक : 03.01.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरिराज राजोरिया, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में संशोधन कर संशोधित अपील मय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की, उस पर उनको सुना गया। संशोधित अपील स्वीकर कर संशोधित अपील को रिकॉर्ड पर लिया गया।

अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड–III लेवल–I। (हिन्दी) के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, साहवा, तारानगर जिला चुरू में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 06.12.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुनरास तारानगर जिला चुरू में काउंसलिंग किए बिना और साथ ही पास के रिक्त पद को दर्शाए बिना स्थानांतरित कर दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 14.11.2024 (अनुलग्नक–2) द्वारा शिक्षकों को अपीलार्थी की तरह सरप्लस घोषित करके उनकी पोस्टिंग के लिए निर्देश/अनुसूची जारी की है। अपीलार्थी का पुत्र विकलांग है और उसके नियमित कार्य करने के लिए परिवार के सदस्य की आवश्यकता

होती है। इस कारण अपीलार्थी ने पूर्व में पदोन्नति का भी परित्याग किया है। अपीलार्थी के अलावा उनके पुत्र की देखभाल करने वाला अन्य कोई नहीं है। अपीलार्थी को गलत तरीके से अधिशेष घोषित किया है। अतः कार्यवाही विभागीय निर्देशों के विपरीत है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 06.12.2024 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, साहवा, तारानगर जिला चुरू में कार्य करने दिया जावे।

हमने अपीलार्थी की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को अधिशेष कर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, साहवा, तारानगर जिला चुरू से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पुरनास तारानगर में कर दिया गया। अपीलार्थी का पुत्र विकलांग श्रेणी का है एवं उसकी देखभाल करने वाला अपीलार्थी के अलावा अन्य कोई नहीं है। इस स्थिति के दृष्टिगत प्रकरण में हम न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी एक सप्ताह में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में दो सप्ताह में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकरण अभ्यावेदन को किसी विशिष्ठ ढंग/रिती से निस्तारित करने का निर्देश नहीं दे रहा है। प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी की उक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत नियमानुसार नियत समयावधि में अभ्यावेदन का निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 06.12.2024 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य